प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 8 अगस्त, 2019**

विषयः **मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्त में आगामी 11 से 13 अगस्त के दौरे पर एक उप शिष्ट मण्डल ब्लादिवोस्टक रूस जाने पर होने वाले व्यय की अनुमानित धनराशि रू0-30.00 लाख को पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर अवमुक्त किये जाने क संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-35/बजट/2019-20 दिनांक 07.08.2019 एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-70/ई-1-/दस-2019, दिनांक-08 अगस्त, 2019 पृष्ठांकन संख्या-677/58-2-2019-101/2017टी0सी-4(2) दिनांक-08 अगस्त, 2019 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्त में आगामी 11 से 13 अगस्त के दौरे पर एक उप शिष्ट मण्डल ब्लादिवोस्टक रूस जाने पर होने वाले व्यय की खाद्य प्रसंस्करण शाखा में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत संचालित लेखाशीर्षक-2401-119-04-0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधान की योजनान्तर्गत पदों की रिक्तिता के कारण मद संख्या-01 वेतन में उपलब्ध धनराशि में से उसी योजना से मद संख्या-42-अन्य व्यय में धरनराशि रू0-30.00 लाख की व्यवस्था** पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने के साथ ही हवाई यात्रा संबंधित टिकट आदि पर होने वाले व्यय का अग्रिम आहरण किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- प्रश्नग अग्रिम आहरण में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक- 15 नवम्बर, 2017 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69, दिनांकः 18 सितम्बर, 2017 की निम्न शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

5- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

7- बी0एम0-9 के प्रपत्र के कालम संख्या-2 एवं 8 में अंकित धनराशियां, पूर्व में कराये गये पुनर्विनियोग में की गयी व्यवस्था, यदि कोई हो, के संबंध में अवश्य चेक कर लेंगे।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-170/दस-2019-231/2018, दिनांक-22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-2401-119-04-0409-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 में वर्णित बचतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त

(सहदेव)
विशेष सचिव।

संख्या-105/2019/681(1)/58-2-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- श्री अमित सिंह, विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
9- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in